कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 30-06-2024

विषय:- पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा कैम्प कार्यालय स्थित सभागार में की गई अपराध समीक्षा गोष्ठी, दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

- **01 जुलाई से लागू होने वाले तीन नये आपराधिक विधि के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देश**
- **"दण्ड के बजाय न्याय केन्द्रित हैं नये आपराधिक कानून"**
- **नये कानून के तहत पीड़ित व्यक्ति कहीं भी दर्ज करा सकता है एफआईआर**
- **त्वरित न्याय हेतु तय समय सीमा में कार्यवाही किये जाने का है प्रावधान**
- **जनता से संवाद स्थापित कर नये आपराधिक विधि का प्रचार प्रसार किया जाये।**
- **सुगम यातायात के दृष्टिगत अतिक्रमण व अवैध स्टैण्ड पर हो कार्यवाही।**
- **आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत की गई तैयारियों की समीक्षा की गई।**
- **लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारियों की दी गई कड़ी चेतावनी, होगी कार्यवाही**

आज दिनांक 30-06-2024 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा कैम्प कार्यालय स्थित सभागार में अपराध समीक्षा गोष्ठी की गई। गोष्ठी में पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा 01 जुलाई 2024 से लागू हो रहे तीन नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की मूल भावनाओं को पीपीटी प्रजेन्टेशन के माध्यम से बताया गया। उक्त गोष्ठी में संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध श्री के. एजिलरसन, पुलिस उपायुक्त काशी जोन श्री प्रमोद कुमार, पुलिस उपायुक्त वरूणा जोन श्री चन्द्रकान्त मीना, पुलिस उपायुक्त गोमती जोन श्री मनीष कुमार शांडिल्य सहित समस्त अपर पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। गोष्ठी के दौरान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निम्नांकित दिशा-निर्देश दिये गये –

- **सभी लम्बित प्रकरणों का हो शीघ्र निस्तारण, पेंडेंसी हो शून्य।**
- **थानों पर नियुक्त पुलिस बल के 70% की फील्ड में हो तैनाती।**

- **आपरेशन त्रिनेत्र के तहत नये स्थानो को चिन्हित कर सीसीटीवी कैमरे लगाये जायें।**
- **अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध हो गुण्डा/गैंगेस्टर की कार्यवाही, सतत निगरानी हेतु खोली जाये हिस्ट्रीशीट**
- **प्रत्येक उ0नि0 के पास हो उसका परफॉर्मेंस रजिस्टर जिसमें हो उनके कार्यों का विवरण**

<u>अन्य निर्देश-</u>

1. थानों पर आने वाले आगन्तुकों/फरियादियों से विनम्रतापूर्वक व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुनकर समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण व पीड़ित को कृत कार्यवाही से अवगत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
2. महिला एवं बच्चों से सम्बन्धी अपराधों के सम्बन्ध में संवेदनशीलता पूर्वक त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
3. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि थानो पर बने हेल्प डेस्क पर प्रशिक्षित पुलिस कर्मियो की ड्यूटी लगाई जाये जो पीड़ित की समस्याओ को सहानुभूतिपूर्वक सुनकर तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर पीड़ित को राहत प्रदान करें।
4. थानों पर पंजीकृत अभियोगों में वांछित अभियुक्तों, इनामिया, जिला बदर, एनबीडब्लू के विरूद्ध अभियान चलाकर गिरफ्तारी करने व अभ्यस्त/शातिर अपराधियों के विरूद्ध गुण्डा/गैंगेस्टर के तहत कार्यवाही करते हुए उनकी हिस्ट्रीशीट भी खोले जाने हेतु निर्देशित किया गया।
5. लम्बित एस.आर. केस, आरोपियों की वर्तमान स्थिति, गैंगेस्टर की कार्यवाही व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए लम्बित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।
6. थाना क्षेत्र के टॉप-10/हिस्ट्रीशीटर अपराधियों पर लगातार सतर्क दृष्टि रखते हुए उनके क्रियाकलापों की निगरानी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
7. सुगम यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत चौराहों, सड़कों आदि पर अतिक्रमण के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जाये। जाम लगने पर संबंधित थाना प्रभारी के विरुद्ध होगी कार्यवाही।
8. आगामी त्यौहारों मोहर्रम, रथयात्रा, कांवड़ यात्रा, सावन मेला की तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
9. विजिबल पुलिसिंग के तहत थाना प्रभारी अपने क्षेत्र के बाजार, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र व भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में पैदल गश्त करें। इस दौरान लोगों से संवाद स्थापित करें, जिससे लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े साथ ही पुलिस का सूचना तंत्र भी मजबूत हो।

10. वाराणसी आने वाले पर्यटकों के साथ किसी प्रकार की घटना घटित न हो, पर्यटन के दृष्टिगत महत्वपूर्ण मंदिर, घाटों व बाजारों में भीड़ की आड़ में अपराध कारित करने वालों को चिन्हित कर सख्त कार्यवाही की जाये।

11. थाना क्षेत्र में अवैध शराब, मादक पदार्थों एवं अवैध शस्त्रों की तस्करी आदि अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाकर वैधानिक कार्यवाही की जाये।

12. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा थाना क्षेत्र में होने वाली वाहन चोरी/नकबजनी व अन्य चोरियों के रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

13. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा थाना क्षेत्र में शरीर एवं सम्पत्ति सम्बन्धित घटित होने वाले अपराध, अपराध का तरीका, अपराधियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी एवं उन पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में प्रभारियों को निर्देशित किया गया।

14. आम जनमानस से पुलिसकर्मी शालिनतापूर्वक व्यवहार करें, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें। शिकायत प्राप्त होने पर पुलिसकर्मी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।